



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1491/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, में, परिशिष्ट-ख में,—
 - (i) खाना 2 के नीचे विद्यमान मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;
टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा।
 - (ii) खाना 3 के नीचे “स्थानान्तरण द्वारा” शीर्ष तथा उसके नीचे मदों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—

 - (i) परियोजना अधिकारी के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ;
 - (ii) कम से कम साठ प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री या कम से कम साठ प्रतिशत अंकों सहित इंजिनियरिंग में मैकेनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल/कम्प्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रोनिक्स/पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री ; और
 - (iii) ग्रामीण विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयोजना, परियोजनाओं को बनाना तथा क्रियान्वयन, विभिन्न विकास एजेन्सियों के बीच ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तालमेल संबंधी कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ;
 - (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत ;
टिप्पणी:— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा”।

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT****Notification**

The 24th April, 2019

No. 1491/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group A) Service (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, in Annexure B-,

(i) under column 2, for existing item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

“(iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible”

(ii) under column 3, for the heading “By Transfer:” and entries’ thereunder, the following heading and entries thereunder shall be substituted, namely:-

“By transfer or deputation

(i) Eight years experience as Project Officer.

(ii) Master Degree in Physics / Chemistry with at least 60% marks or equivalent degree OR Bachelors Degree in Engineering in Mechanical / Chemical / Electrical / Computer Science Technology, Electronics / Environmental Engineering or equivalent degree with at least 60% marks;

(iii) Eight years experience in planning, formulation and implementation of projects in the field of renewable energy for the rural development, examining the techno-economic viabilities and coordination of implementation of such projects between different development agencies; and

(iv) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.”

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.